








RCMS-2020/00095
 न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 49/2020

तारीखरज:- 14/11/2020

उनवान:- इन्द्राज बनाम सियाराम वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
1.7.2020	<p>वादी की ओर से श्री छुट्टन लाल मीना एडवोकेट ने दावा वावत स्थायी निषेधाज्ञा 188 आर टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 30.07.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
30.7.20	<p>वादी वकील उप/प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजकुमार सिंह राजावल ने वकालतनामा पेश किया। जखब दावा पेश करने दिनांक 27.8.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
27.8.20	<p>लाकडाउन के कारण जनरल पेशी से पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन अधिकारी करौली पधार है। अन्ततुम्बर दिनांक 24.9.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
14.9.20	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सुनाय काम में हिजोन डी पत्रावली गतानुसार दिनांक 11.11.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
11.11.20	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सुनाय काम में हिजोन डी पत्रावली गतानुसार दिनांक 11.11.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
12.20	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सुनाय काम में हिजोन डी पत्रावली गतानुसार दिनांक 15.1.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
15.1.21	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सुनाय काम में हिजोन डी पत्रावली गतानुसार दिनांक 18.2.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>

2595-99
 14/11/2020

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
27 ⁶ / ₂₄	फतावली पेश हुई। वकील उमयपञ्चाकारण उपस्थित। वास्ते तनकीयात दिनांक 8-7-24 को पेश हो। (S)
7 ⁷ / ₂₄	फतावली पेश हुई। वकील उमयपञ्चाकारण उपस्थित। वास्ते तनकीयात दिनांक 18-7-24 को पेश हो। (S)
10 ⁷ / ₂₄	फतावली पेश हुई। वकील उमयपञ्चाकारण उपस्थित। पक्षाध्यक्ष जगजुनवाड़ी में पेश हो। वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 28-8-24 को पेश हो। (S)
28 ⁸ / ₂₄	फतावली पेश हुई। वकील उमयपञ्चाकारण उपस्थित। तनकीयात स्पष्ट की जाती है। वास्ते वाडी लाइन पेश करने दिनांक 30-8-24 को पेश हो। (S)
30-8-24	फतावली पेश हुई। वकील वाडी सुप वाडीकरण कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ। वाट 9 भावाज डिलाई गई। इसके उपरान्त भी कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ। इससे वाडी सुप वाडी वकील का उम्दरावा अडम पैरवी अडम डायरी में रखा जा किया जा रहा है। फतावली प्रेमलकुमार होकर नक्का के काम का इतिहास इफ्त हो। (S)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर
फर्द अहकाम